निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

33—मंगलौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए उप निर्वाचन—2024

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि — श्री कृाज़ी मौहम्मद निज़ामुद्दीन (नाम)

599/1, मोहल्ला किला मंगलौर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (पता) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में श्री सरवत करीम अंसारी की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः हरिद्वार

दिनांकः 13 जुलाई, 2024

(लक्ष्मी राज चौहान) रिटर्निंग आफिसर

33-मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statuory Rules and Order)

Form 21 D

(See rule 64)

(for use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951

Bye Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand (State) From the 33-Manglaur Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Shri Qazi Mohammad Nizamuddin (Name)

हुर्तम आफिल

599/1, Mohalla Qila Manglaur, District Haridwar Uttarakhand (Address) Sponsored by **Indian National Congress** (Recognised political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Sarwat Kareem Ansari.

Place: Haridwar

Date: 13th July, 2024

(Laxmi Raj Chauhan)

Returning officer.

33-Manglaur Assembly Constituency